प्रश्न सं. [क. 296] (परिशिष्ट - 1) परिशिष्ट-4

WP-122-2020

The High Court Of Madhya Pradesh

WP-122-2020

(MUKESH KUMAR PANDEY Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS)

1

Jabalpur, Dated : 10-01-2020

Shri K. C. Ghildiyal learned counsel for the petitioner.

Shri S. S. Baghel, learned Govt. Advocate for the respondent/State.

Heard on the question of admission and interim relief.

By the instant petition the petitioner is challenging the order dated 26.12.2019 (Annexure P-14) whereby the order of deputation assigned for sending the petitioner on deputation has been withdrawn.

The learned counsel for the petitioner submits that the period of deputation was two years and after completion of only one month the order has been cancelled and the consent was withdrawn without assigning any reason pursuant to which a consequential order was issued repatriating the petitioner back to his parent department.

The learned Govt. Advocate for the respondent/State submits that the petitioner has no right to claim to be on deputation and as such the order impugned cannot be interfered with.

However, looking to the facts and circumstances of the case and the fact that the impugned order does not assign any reason to curtail the period of deputation and withdraw the consent and relying upon the decision rendered by the Supreme Court in the case of **Union of India and another vs. Ramakrishan and others,** (2005) 8 SCC 394, let notice be issued to the respondents on payment of P.F within seven days, by ordinary as well as registered modes. Notice be made returnable within four weeks.

By way of an interim measure, it is directed that the operation of the impugned orders dated 26.12.2019 (Annexure P-14) and dated 1.1.2020 (Annexure P-16) shall remain stayed and the petitioner shall be allowed to continue on deputation till the next date of hearing.

C.C as per rules.

Digitally signed by MONSI M SIMON
Date: 13/01/2020 22:24:52

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

तारां. 296 (परिशिष्ट-2)

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय

	296 अतारांकित
	19 / 12 / 2022
उत्तर भेजने की अंतिम तिथि	12 / 12 / 2022
	1
प्रश्नकर्ता का नाम	श्री नारायण सिह पट्टा

विषय :- प्रतिनियुक्ति समाप्त शिक्षकों को मूल विभाग में वापस भेजे जाना।

क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि –

प्रश्न	उत्तर
(क) जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वर्तमान में कार्यरत , उमा.शिक्षक मुकेश कुमार पाण्डेय की प्रतिनियुक्ति अवधि 16.10.2021 को समाप्त हो जाने के बाद भी इन्हे इनके मूल विभाग मूल शाला में वापस न भेजे जाने के क्या कारण है? क्या विभाग द्वारा इस संबंध में दिनांक 23 मार्च 2022 को पत्र क्रमांक स्था.–2 / एच / प्रतिनि / 280 / 2021 / 425 के माध्यम से उक्त शिक्षक को मूल शाला में वापस भेजे जाने हेतु आदेशित किया था? यदि हां तो अब तक वापस न जाने के क्या कारण है? इसमें कौन–कौन दोषी है उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?	श्री मुकेश कुमार पाण्डेय (उच्च माध्यमिक शिक्षक) को आदिम जाति कल्याण विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश के तहत शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे है। उक्त संदर्भित पत्र में श्री मुकेश कुमार पाण्डेय (उच्च माध्यमिक शिक्षक) को मूल शाला में वापस भेजने हेतु कोई आदेश प्राप्त नही है।
(ख) उक्त शिक्षक के विरूद्ध मूल विभाग में विभागीय जांच लंबित होते हुए भी विभाग द्वारा इन्हे प्रतिनियुक्ति में लिया गया था? यदि हॉ तो इसके लिए कौन–कौन दोषी है उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? क्या उक्त शिक्षक द्वारा प्रतिनियुक्ति के दौरान अपनी विभागीय जांच की जानकारी विभाग से छुपाई गई थी, यदि हां तो उक्त शिक्षक के विरूद्ध इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? यदि अब तक कोई कार्यवाही की गई तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?	आदिम जाति कल्याण विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति के दौरान श्री मुकेश कुमार पाण्डेय (उच्च माध्यमिक शिक्षक) के विरूद्ध कोई जांच लंबित नही थी।
(ग) क्या वर्तमान में उक्त शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एपीसी जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे है? यदि हां तो किस नियम के तहत? नियम व आदेशो की प्रति उपलब्ध करावें।	हॉ, वर्तमान में श्री मुकेश कुमार पाण्डेय (उच्च माध्यमिक शिक्षक) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश के परिपालन में कलेक्टर मण्डला के आदेशानुसार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मण्डला में एपीसी पद पर प्रभार में कार्य कर रहे है। आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला मण्डला

मण्डला दिनांक 05 / 12 / 2022

पृष्ठां क्रमांक / विधानसभा / 2022 / 4089 /

प्रतिलिपि:– 1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।
2. कलेक्टर मण्डला ।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर।
को सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा वि...

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला मण्डला

(परिशिष्ट-3)

नस्ती. 296

कार्यालय कलेक्टर जिला मण्डला (म0प्र0)

// आदेश //

मण्डला दिनांक 11/5/2020

[illegible]/1210/2020

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में वाद क्रमांक डब्लू0पी0-00122/2020 [illegible]/01/2020 द्वारा श्री मुकेश पाण्डे को अपने मूल विभाग में कार्यमुक्त करने के [illegible] आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश दिया गया था। अतः माननीय उच्च न्यायालय [illegible] आदेश के अध्याधीन श्री मुकेश पाण्डेय को आगामी आदेश पर्यन्त यथावत ए0पी0सी0, [illegible]0 के पद पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(डॉ0 जगदीश चंद्र जटिया)
कलेक्टर, मण्डला

मण्डला दिनांक 11/05/2020

क्रमांक/[illegible]/1211/2020

प्रतिलिपि
- आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल
- आयुक्त,आदिवासी विकास म0प्र0 भोपाल
- अपर परियोजना संचालक,रा0मा0शि0अ0 म0प्र0 भोपाल
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मण्डला
- संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर
- सहायक आयुक्त,आदिम जाति कल्याण विभाग मण्डला
- श्री मुकेश पाण्डेय,वरिष्ट अध्यापक, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- श्री अनिल मरकाम, प्रभारी, ए0पी0सी0, आर0एम0एस0ए0 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ। साथ ही अपने मूल विभाग में कार्य करने हेतु आदेशार्थ।

कलेक्टर,
मण्डला.

16.5.20

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग